

[2023] 1 एस. सी. आर 741 ए

क.

जांच के केंद्र के माध्यम से राज्य

वी.

टी. गंगी रेड्डी @येरा गंगी रेड्डी (2023 की आपराधिक अपील संख्या 37)

16 जनवरी, 2023

[एम. आर. शाह और सी. टी. रविकुमार, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: धारा 167 (2)-पूर्व विधायक की हत्या के संबंध में गिरफ्तार अभियुक्त-प्रत्यर्थी को गुण-दोष के आधार पर रद्द करना, धारा 167 (2) के तहत पूर्व विधायक की हत्या के संबंध में गिरफ्तार अभियुक्त-प्रत्यर्थी को पूर्व-अभियुक्त जमानत पर रिहा करना-सी. बी. आई. ने जाँच का समापन किया, आरोप पत्र दायर किया और फिर प्रत्यर्थी की जमानत रद्द करने के लिए दायर किया-हालाँकि, उच्च न्यायालय ने उक्त याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि पूर्व-अभियुक्त को पूर्व-अभियुक्त के आधार पर जमानत दी गई थी। 167(2) योग्यता के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: एस के परंतुक के तहत जमानत पर रिहाई का आदेश। 167(2) गुणदोष पर आदेश के रूप में नहीं कहा जा सकता है-एस के लिए परंतुक का उद्देश्य। 167(2) निर्धारित समय सीमा के भीतर त्वरित जांच करना है-अभियुक्त को एस के प्रावधान के तहत जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। 167(2) अभियोजन एजेंसी की विफलता पर-किसी व्यक्ति के बाद केवल आरोप पत्र दायर करने पर डिफॉल्ट जमानत पर रिहा किया जाता है। 167(2) किसी व्यक्ति की जमानत को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है, जिसे डिफॉल्ट जमानत पर रिहा किया जाता है-कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है कि एक बार किसी व्यक्ति को डिफॉल्ट जमानत पर रिहा कर दिया जाए। 167(2), गुण-दोष के आधार पर उसकी जमानत रद्द नहीं की जा सकती-जांच के समापन पर आरोप-पत्र दायर करने पर, यदि कोई मजबूत मामला बनता है और गुण-दोष के आधार पर, यह पाया जाता है कि उसने विशेष कारणों/आधारों पर और एस. एस. पर विचार करते हुए गैर-जमानती अपराध/अपराध किया है। 437(5) और 439 (2), उन अन्य आधारों के अलावा जिन पर जमानत पर रिहा किए गए व्यक्ति की जमानत गुण-दोष के आधार पर रद्द की जा सकती है-इसलिए, अदालतें गुण-दोष के आधार पर जमानत रद्द करने के आवेदन पर विचार करने से वंचित नहीं हैं-उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया गया है। 174, 437(5), 439(2) - दंड संहिता, 1860-एस. एस. 120-बी, 201, 302, 506.

ग

डी.

ई.

च

जी.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: **1.1** जब किसी अभियुक्त को धारा **167 Cr.P.C** की उप-धारा **(2)** के प्रावधान के तहत डिफॉल्ट जमानत पर रिहा किया जाता है, तो उसे धारा **167 Cr.P.C** की विफलता पर उसके द्वारा जमानत बांड प्रस्तुत करने पर रिहा कर दिया जाता है।

एच.

जाँच एजेंसी जाँच को पूरा करेगी और उसमें उल्लिखित समय के भीतर आरोप पत्र दाखिल करेगी। धारा **167 (2) Cr.P.C** की उप-धारा (2) का परंतुक उस बाहरी सीमा को निर्धारित करता है जिसके भीतर जाँच पूरी की जानी चाहिए और यदि वह उसमें निर्धारित अवधि के भीतर पूरी नहीं होती है, तो आरोपी को जमानत पर रिहा होने का अधिकार है यदि वह जमानत देने के लिए तैयार है और जमानत देता है। धारा **167 (2) Cr.P.C** के प्रावधान पर विचार करते हुए, यह विवादित नहीं हो सकता है कि जमानत (डिफॉल्ट जमानत) पर रिहा किए गए व्यक्ति को **Cr.P.C** के अध्याय **XXXIII** के प्रावधानों के तहत रिहा किया गया माना जाता है, जिसमें धारा **437** और **439** भी शामिल हैं। धारा **167 (2) Cr.P.C** के परंतुक का उद्देश्य और उद्देश्य निर्धारित समय सीमा के भीतर त्वरित जाँच की आवश्यकता पर जोर देना और उस संबंध में ढिलाई को रोकना है। इसका उद्देश्य इसकी तात्कालिकता की भावना पैदा करना है और यदि आरोपी तैयार है और जमानत देता है तो मजिस्ट्रेट उसे रिहा कर देगा। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा **167 (2) Cr.P.C** के प्रावधान के तहत जमानत पर रिहाई का आदेश गुण-दोष पर एक आदेश है। अभियोजन एजेंसी की विफलता पर एक आरोपी को धारा **167 (2) Cr.P.C** के प्रावधान के तहत जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। इसलिए, धारा **167 (2) Cr.P.C** के तहत काल्पनिक धारणा की व्याख्या जमानत के आदेश को गुण-दोष पर नहीं बल्कि गुण-दोष पर पारित करने की अवधि में नहीं की जा सकती है। [पैरा **8.1**] [750-एच; 751-ए-ई]

ग

डी.

ई.

**1.2.** जब आरोप-पत्र से विशेष कारण/आधार बनाए जाते हैं और आरोप-पत्र से गैर-जमानती अपराध का पता चलता है, तो उस व्यक्ति के पक्ष में जमानत, जिसे धारा **167 (2) Cr.P.C** के तहत डिफॉल्ट जमानत पर रिहा किया गया है, धारा **437 (5)** और धारा **439 (2) Cr.P.C** पर विचार करते हुए रद्द किया जा सकता है। कानून, जो उभरता है वह यह है कि किसी व्यक्ति के बाद केवल आरोप-पत्र दायर करना धारा **167 (2) Cr.P.C** के तहत डिफॉल्ट जमानत पर जारी किया जाता है। किसी व्यक्ति की जमानत को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है, जिसे डिफॉल्ट जमानत पर रिहा किया जाता है। हालाँकि, जाँच के समापन पर आरोप पत्र दाखिल करने पर, यदि एक मजबूत मामला बनाया जाता है और गुण-दोष के आधार पर, यह पाया जाता है कि उसने गैर-जमानती अपराध/अपराध किया है, विशेष कारणों/आधारों पर और धारा **437 (5)** और धारा **439 (2) Cr.P.C** पर विचार करते हुए, अन्य आधारों के अलावा जिन पर जमानत पर रिहा किए गए व्यक्ति की जमानत गुण-दोष के आधार पर रद्द की जा सकती है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा ए में अभिनिर्धारित कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है

च

जी.

एच.

743

द स्टेट थ्रू सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वी. टी. गंगी रेड्डी @ येरा गंगी रेड्डी ए

आक्षेपित निर्णय और आदेश कि एक बार किसी व्यक्ति को धारा **167 (2) Cr.P.C** के तहत डिफॉल्ट जमानत पर रिहा कर दिए जाने के बाद, उसकी जमानत गुण-दोष के आधार पर रद्द नहीं की जा सकती है और उसकी जमानत अन्य सामान्य आधारों पर रद्द की जा सकती है जैसे कि साक्ष्य/गवाहों के साथ छेड़छाड़ करना; जाँच एजेंसी के साथ सहयोग नहीं करना और/या संबंधित निचली अदालत के साथ सहयोग नहीं करना आदि। [पैरा **9.7,10,11**] [761-एफ; 762-जी-एच; 763-ए-बी]

**1.3** सी. बी. आई. द्वारा धारा **439 (2) Cr.P.C** के तहत दायर जमानत को रद्द करने के आवेदन को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है।[पैरा **13**] **[763-एच; 764-ए]**

ग

**1.4** चूंकि उच्च न्यायालय ने जमानत रद्द करने के आवेदन के गुण-दोष पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है, इसलिए मामले को कानून के अनुसार और गुण-दोष के आधार पर और की गई टिप्पणियों के आलोक में उक्त आवेदन पर नए सिरे से विचार करने के लिए उच्च न्यायालय को भेजा जाना है। इस न्यायालय द्वारा **2022** की लिखित याचिका (आपराधिक) संख्या **169** में दिनांक **1** के पूर्व निर्णय और आदेश के अनुसार, वर्तमान मामले में एफ. आई. आर. के मुकदमे को सी. बी. आई. विशेष न्यायालय, हैदराबाद में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया है, जमानत आवेदन को रद्द करने की कार्यवाही, जो पहले आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी, को हैदराबाद में तेलंगाना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया है और अब तेलंगाना उच्च न्यायालय गुण-दोष के आधार पर और की गई टिप्पणियों के आलोक में जमानत को रद्द करने के लिए आवेदन पर विचार करने, निर्णय करने और उसका निपटारा करने के लिए है।[पैरा **14**] **[764-डी-एफ]**

डी.

ई.

असलम बाबालाल देसाई बनाम महाराष्ट्र राज्य **(1992)**

च

4 एससीसी 272:[1992] 1 पूरक।एस. सी. आर. 545; अब्दुल बासित

उपनाम राजू और ओआरएस। बनाम मोहम्मद।अब्दुल कादिर चौधरी

और एन. आर. (2014) 10 एस. सी. सी. 754:[2014] 10 एससीआर 571;

रघुबीर सिंह और अन्य। बनाम बिहार राज्य **(1986) 4**

एससीसी **481:[1986] 3** एससीआर **802**-पर निर्भर।

जी.

मोहम्मद इकबाल मदार शेख और अन्य। बनाम राज्य

महाराष्ट्र **(1996) 1** एस. सी. सी. **722:[1996] 1** एससीआर **183,**

रजनीकांत जीवनलाल और अन्न। बनाम खुफिया अधिकारी,

एन. सी. बी., नई दिल्ली (1989) 3 एस. सी. सी. 532:[1989] 3 एससीआर

**377,** राकेश कुमार पॉल बनाम असम राज्य **(2017) 15**

एच.

एससीसी **67:[2017] 8** एस. सी. आर. **785**-संदर्भित।

**744** सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 1 एस. सी. आर.

निर्णीत विधि संदर्भ

**[1992] 1 पूरक।एस. सी. आर. 545 पैरा 5 पर निर्भर था [2014] 10 एस. सी. आर. 571 पैरा 5 पर निर्भर था [1996] 1 एस. सी. आर. 183 पैरा 6 पर संदर्भित [2017] 8 एस. सी. आर. 785 पैरा 7 पर संदर्भित [1986] 3 एस. सी. आर. 802 पैरा 9 पर निर्भर था।**

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता: 2023 की आपराधिक अपील No.37।

ग

2022 की आपराधिक याचिका No.788 में अमरावती में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांकित 16.03.2022 के निर्णय और आदेश से।के. एम. नटराज, ए. एस. जी., सुश्री ज्योति जोंगलूजू, शरत नांबियार, विनायक शर्मा, प्रणीत प्रणव, टी. एस. सबरिश, नकुल चेंगप्पा के. के., अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

डी.

बी. आदिनारायण राव, सिद्धार्थ दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुमंत नूकला, सुश्री जेसल वाही, सुश्री विधि ठाकर, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

ई.

1. आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा अमरावती में 2022 की आपराधिक याचिका संख्या 788 में पारित किए गए विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता-केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी. आई.) द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता (आई. डी. 2) की धारा 439 (2) के तहत दायर उक्त याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें प्रतिवादी को दी गई जमानत को रद्द करने के लिए-मूल अभियुक्त संख्या 1 और जिसमें उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि एक बार प्रतिवादी संख्या 1-अभियुक्त संख्या 1 को धारा 167 (2) Cr.P.C के तहत डिफॉल्ट जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

च

जी.

2. वर्तमान अपील में शामिल मुद्दे पर विचार करते हुए, अर्थात्, क्या उस मामले में जहां आरोपी को उसके बाद डिफॉल्ट जमानत पर रिहा किया जाता है, जमानत आवेदन को रद्द करने पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है, कालानुक्रमिक तिथियों और घटनाओं को संदर्भित करने की आवश्यकता है, जो नीचे दिए गए हैं:- ए.

एच.

745

द स्टेट थ्रू सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वी. टी. गंगी रेड्डी @येरा गंगी रेड्डी [एम. आर. शाह, जे.] ए.

2.1 मृतक श्री वाई. एस. विवेकानंद रेड्डी, एक पूर्व एम. एल. ए.; पूर्व लोकसभा सदस्य; ए. पी. विधान परिषद के पूर्व सदस्य; और अन्य पदों पर बैठे हुए उनके घर में 15.03.2019 पर मृत पाए गए।शुरु में धारा 174 Cr.P.C. के तहत स्थानीय पुलिस, यानी पुलिस स्टेशन, पुलिवेंदुला द्वारा 2019 के अपराध No.84 में मामला दर्ज किया गया था।इसके बाद, भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया।राज्य द्वारा विशेष जांच दल (एस. आई. टी.) का गठन किया गया था।एस. आई. टी. ने जाँच अपने हाथ में ले ली।जाँच के दौरान, संबंधित राज्य पुलिस एजेंसी ने प्रतिवादी-मूल अभियुक्त संख्या 1 (ए-1) को 28.03.2019 पर गिरफ्तार किया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।90 दिनों की वैधानिक अवधि 26.06.2019 पर समाप्त हो गई।90 दिनों की समाप्ति के अगले ही दिन, प्रतिवादी-मूल अभियुक्त संख्या 1 ने Cr.P.C की धारा 167 (2) के तहत डिफॉल्ट जमानत के लिए जमानत आवेदन दायर

किया। इसमें प्रतिवादी को विद्वान जे. एम. एफ. सी., पुलिवेंदुला द्वारा 27.06.2019 पर डिफॉल्ट जमानत की अनुमति दी गई थी। इसमें प्रतिवादी-मूल अभियुक्त संख्या 1 को उक्त आदेश के अनुसार जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

ग

डी.

2.2 कि बाद में और 2019 की रिट याचिका संख्या 3144 और 2020 की रिट याचिका संख्या 1639 में पारित उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार, उपरोक्त अपराध की जांच अपीलार्थी-सी. बी. आई. को सौंपी गई थी। फिर सी. बी. आई. ने उक्त मामले में जांच शुरू की। सी. बी. आई. ने एफ. आई. आर. नं. दाखिल किया। 09.07.2020 पर RC-04 (S)/2020/SC-II/ND जांच से पता चला कि ए-1 से ए-4 ने कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर मृतक को मारने की साजिश रची थी और उक्त साजिश के पीछे कुछ प्रभावित व्यक्ति थे।

ई.

2.3 सी. बी. आई. ने 26.10.2021 पर प्रारंभिक/पहला आरोप पत्र दायर किया और ए 1 से ए 4 का नाम दिया। कि इसके बाद सी. बी. आई. ने प्रतिवादियों को दी गई जमानत को रद्द करने के लिए धारा 439 (2) Cr.P.C के तहत विशेष अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसे विद्वत निचली अदालत ने दिनांक 30.11.2021 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया।

च

2.4 इसके बाद सी. बी. आई. ने आरोपी डी. शिवशंकर रेड्डी (ए-5) के खिलाफ धारा 201 और 120-बी, जिसे आई. पी. सी. के साथ पढ़ा जाता है, के तहत एक पूरक आरोप पत्र दायर किया और प्रतिवादी के खिलाफ भी-मूल अभियुक्त संख्या 1, जिसे आई. पी. सी. की धारा 201, 506 और 120-बी, जिसे आई. पी. सी. के साथ पढ़ा जाता है। इसके बाद सी. बी. आई. ने आगे की जांच की और जांच जारी रखी और सरकारी गवाह ए-4 का बयान दर्ज किया। कि इसके बाद सी. बी. आई. ने आपराधिक याचिका दायर की

जी.

एच.

746

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

प्रतिवादी को दी गई जमानत को रद्द करने के लिए धारा 439 (2) Cr.P.C के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष 2022 की सं. 788-अभियुक्त सं. 1। 2.5 विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उक्त याचिका को मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया है कि एक बार प्रतिवादी संख्या 1-मूल अभियुक्त संख्या 1 को धारा 167 (2) Cr.P.C के तहत डिफॉल्ट जमानत पर रिहा कर दिया गया था, उसके बाद, जमानत को गुण-दोष के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है। 2.6 धारा 439 (2) Cr.P.C के तहत जमानत रद्द करने से इनकार करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, सी. बी. आई. ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है। 3. इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि इस बीच, मृतक की बेटी और पत्नी ने इस न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की, जिसमें वर्तमान एफ. आई. आर. से उत्पन्न मुकदमे को सी. बी. आई. विशेष न्यायालय, कडप्पा, आंध्र प्रदेश से सी. बी. आई. विशेष न्यायालय, हैदराबाद या सी. बी. आई. विशेष न्यायालय, नई दिल्ली में स्थानांतरित करने और सी. बी. आई. को समयबद्ध तरीके से उपरोक्त एफ. आई. आर. में जांच को विधिवत पूरा करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। एक विस्तृत निर्णय और दिनांक 1 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने साक्ष्य और गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने और यहां तक कि सी. बी. आई. अधिकारियों के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज करके उन पर दबाव डालने के आरोपों पर उक्त रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है।

ग

डी.

4. इसलिए, इस न्यायालय के विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न पूछा गया है, वह है:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

क्या किसी अभियुक्त को धारा 167 (2) Cr.P.C के तहत डिफॉल्ट जमानत पर रिहा किए जाने के बाद, किन परिस्थितियों में, उसकी जमानत रद्द की जा सकती है और क्या जाँच के समापन और आरोप पत्र दायर करने पर गैर-जमानती अपराध पाए जाने के गुण-दोष पर जमानत रद्द की जा सकती है?

च

5. सी. बी. आई. की ओर से उपस्थित विद्वान ए. एस. जी. श्री के. एम. नटराज ने जोरदार ढंग से कहा है कि धारा 167 (2) Cr.P.C के तहत डिफॉल्ट जमानत पर किसी आरोपी की रिहाई को गुण-दोष के आधार पर आरोपी को रिहा करना नहीं कहा जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक आरोपी को धारा 167 (2) Cr.P.C के तहत डिफॉल्ट जमानत पर रिहा किया जाता है। जांच एजेंसी द्वारा Cr.P.C के तहत निर्धारित समय के भीतर जांच समाप्त करने में विफलता पर। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, आरोप पत्र दाखिल करने और दोषों को दूर करने पर, अदालत के लिए हमेशा योग्यता के आधार पर जमानत रद्द करने के आवेदन पर विचार करने और अपराध की गंभीरता पर विचार करने के लिए खुला है।

जी.

एच.

747

द स्टेट थ्रू सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वी. टी. गंगी रेड्डी @येरा गंगी रेड्डी [एम. आर. शाह, जे.] ए.

क.

5.1 यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 167 (2) उस बाहरी सीमा को निर्धारित करती है जिसके भीतर जांच पूरी की जानी है और यदि वह निर्धारित अवधि के भीतर पूरी नहीं होती है, तो आरोपी को जमानत पर रिहा होने का अधिकार है, यदि वह जमानत देने के लिए तैयार है और प्रस्तुत करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 167 की उप-धारा (2) के खंड (ए) (ii) के अनुसार, उसे Cr.P.C के अध्याय XXXIII के प्रावधानों के तहत रिहा माना जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि Cr.P.C के अध्याय XXXIII में धारा 437 और 439 शामिल हैं, जिसके तहत न्यायालय को धारा 437 (5) और धारा 439 (2) के संदर्भ में किसी आरोपी को दी गई जमानत को रद्द करने का अधिकार है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालाँकि जमानत धारा 167 Cr.P.C की उप-धारा (2) के प्रावधान के तहत दी जाती है, लेकिन इसे न्यायालय द्वारा धारा 437 (5) और धारा 439 (2) Cr.P.C के संदर्भ में रद्द किया जा सकता है।

ग

5.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 167 (2) के परंतुक का उद्देश्य निर्धारित समय सीमा के भीतर त्वरित जांच की आवश्यकता पर जोर देना और उस संबंध में ढिलाई को रोकना है। इसका उद्देश्य इसकी तात्कालिकता की भावना पैदा करना है और यदि आरोपी तैयार है और जमानत देता है तो मजिस्ट्रेट उसे रिहा कर देगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, धारा 167 (2) Cr.P.C के प्रावधान के तहत जमानत पर रिहाई का आदेश गुण-दोष पर आदेश नहीं है, बल्कि अभियोजन एजेंसी के चूक पर आदेश है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 167 (2) के परंतुक के तहत काल्पनिक कल्पना की व्याख्या जमानत के आदेश को योग्यता के आधार पर नहीं बदलने के लिए नहीं की जा सकती है, जैसे कि योग्यता के आधार पर पारित किया गया हो। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह के आदेश को दोष/चूक ठीक होने के बाद विशेष कारणों से रद्द किया जा सकता है, यानी आरोप पत्र दाखिल करने के बाद। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि जमानत जांच एजेंसी के चूक के कारण दी गई थी

और अदालत द्वारा मामले के गुण-दोष को उजागर किए बिना, आरोप-पत्र में लाए गए गुण-दोष और उपस्थित परिस्थितियां प्रासंगिक होंगी।

डी.

ई.

च

5.3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में प्रतिवादी को धारा 167 (2) के प्रावधान के तहत जमानत दी गई थी क्योंकि राज्य पुलिस ने निर्धारित सीमा के भीतर जांच पूरी करने में चूक की थी और राज्य पुलिस का लापरवाह दृष्टिकोण भी अपीलार्थी को जांच हस्तांतरित करने का कारण था-सी. बी. आई. 5.4 श्री के. एम. नटराज, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान ए. एस. जी.-सी. बी. आई. ने असलम बाबालाल देसाई बनाम के मामले में इस अदालत के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर जोरदार भरोसा किया है। महाराष्ट्र राज्य, (1992) 4 एस. सी. सी. 272 उनके निवेदन के समर्थन में कि

जी.

एच.

748

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

इस न्यायालय द्वारा विशेष आधारों पर अभिनिर्धारित और अभिनिर्धारित किया गया कि अभियुक्त ने बहुत गंभीर अपराध किए हैं; गैर-जमानती अपराध किए हैं और वह हिरासत में रहने का हकदार है, यहां तक कि उस मामले में भी जहां अभियुक्त को धारा 167 (2) Cr.P.C के तहत डिफॉल्ट जमानत पर रिहा किया जाता है, उसकी जमानत रद्द की जा सकती है। अनुच्छेद 14 में न्यायमूर्ति ए. एम. अहमदी (जैसा कि वे उस समय थे) द्वारा की गई टिप्पणियों पर भारी निर्भरता रखी गई है। उन्होंने हमें अनुच्छेद 23 और 28 में न्यायमूर्ति एम. एम. पुंछी (जैसा कि वे उस समय थे) द्वारा की गई टिप्पणियों की ओर भी ले गए हैं (हालांकि वे असहमत हैं लेकिन धारा 167 (2) के संबंध में टिप्पणियों से सहमत हैं)। उन्होंने हमें तत्कालीन न्यायमूर्ति के. रामास्वामी (पैराग्राफ 39 और 40 में दिए गए सहमत विचार) द्वारा की गई टिप्पणियों की ओर भी ले गए हैं। संबंधित माननीय न्यायाधीशों द्वारा उपरोक्त पैराग्राफ में की गई टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा देखा और अभिनिर्धारित किया गया है, धारा 167 Cr.P.C की उप-धारा (2) के परंतुक के तहत डिफॉल्ट जमानत का अनुदान Cr.P.C के अध्याय XXXIII के संदर्भ में जारी किया गया माना जाता है और इसलिए, एक बार दिए गए डिफॉल्ट जमानत को अदालत द्वारा धारा 437 (5) या धारा 439 (2) के तहत जमानत रद्द करने के कारणों से रद्द किया जा सकता है।

ग

डी.

5.5 उपरोक्त निर्णय और उसमें की गई टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि जमानत जांच एजेंसी के चूक के कारण दी गई थी और अदालत के मामले के गुण-दोष पर ध्यान दिए बिना, आरोप पत्र में लाए गए गुण-दोष और उपस्थित परिस्थितियां प्रासंगिक होंगी।

ई.

5.6 श्री के. एम. नटराज, विद्वान ए. एस. जी. ने आगे प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में, बदली हुई परिस्थितियों और इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 2022 में पारित बाद के आदेश में की गई टिप्पणियों को देखते हुए जमानत को रद्द करने के लिए धारा 439 (2) Cr.P.C के तहत मामला बनाया गया है, जिसके द्वारा इस न्यायालय ने मुकदमे को सी.

बी. आई. विशेष अदालत, कडप्पा, आंध्र प्रदेश से सी. बी. आई. विशेष अदालत, हैदराबाद में स्थानांतरित कर दिया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस माननीय न्यायालय ने मुकदमे को इस आधार पर स्थानांतरित कर दिया है कि गवाहों को धमकी दी जा रही है और/या प्रभावित किया जा रहा है और अगर आंध्र प्रदेश राज्य में ऐसा किया जाता है तो निष्पक्ष सुनवाई की कोई संभावना नहीं है। हालाँकि, चूंकि उच्च न्यायालय ने गुण-दोष पर कुछ भी विचार नहीं किया है, इसलिए हम इस स्तर पर उक्त पहलू में जाने और उपरोक्त पर कुछ भी विचार करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।

च

जी.

5.7 श्री नटराज, विद्वान ए. एस. जी. ने भी अब्दुल बासित उर्फ ए. के मामले में इस न्यायालय के बाद के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया है।

एच.

749

द स्टेट थ्रू सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वी. टी. गंगी रेड्डी @ येरा गंगी रेड्डी [एम. आर. शाह, जे.] ए.

राजू और ओआरएस। बनाम मोहम्मद। अब्दुल कादिर चौधरी और अन्न (2014)

10 एस. सी. सी. 754 (पैराग्राफ 13 और 14) उनके इस निवेदन के समर्थन में कि धारा 167 (2) Cr.P.C के तहत दी गई जमानत को अभियोजन एजेंसी द्वारा आवेदन पर रद्द किया जा सकता है।

5.8 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील की अनुमति दी जाए और प्रतिवादी के पक्ष में दी गई जमानत को रद्द कर दिया जाए-मूल अभियुक्त संख्या 1 आरोप पत्र पर विचार करने और अभियुक्त द्वारा किए गए कथित अपराधों की गंभीरता को देखते हुए और अपराधों की गंभीरता को देखते हुए। 5.9 सी. बी. आई. की ओर से उपस्थित विद्वान ए. एस. जी. ने भी योग्यता के साथ-साथ प्रतिवादी के जमानत के बाद के आचरण पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है-अभियुक्त संख्या 1। हालाँकि, चूंकि उच्च न्यायालय ने उपरोक्त पहलुओं पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है, इसलिए हम इस स्तर पर प्रतिवादी/अभियुक्त के गुण-दोष और/या जमानत के बाद के आचरण में प्रवेश करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। 6. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बी. आदिनारायण राव ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया है। 6.1 प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील-मूल अभियुक्त संख्या 1 द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है कि कानून की तय स्थिति के अनुसार, केवल बाद में आरोप पत्र दाखिल करना धारा 167 (2) के तहत प्रत्यर्थी को दी गई जमानत को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है। इसलिए यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने सी. बी. आई. द्वारा बाद में आरोप पत्र दाखिल करने पर डिफॉल्ट जमानत/जमानत को रद्द करने से सही ढंग से इनकार कर दिया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी-मूल अभियुक्त संख्या 1 को सी. बी. आई. द्वारा राज्य पुलिस एजेंसी/एस. आई. टी. द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया था।

ग

डी.

ई.

च

6.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद भी और सी. बी. आई. द्वारा जांच अपने हाथ में लेने और आरोप पत्र दायर करने के बाद, सी. बी. आई. ने धारा 439 (2) के तहत जमानत रद्द करने के लिए विद्वत निचली अदालत के समक्ष आवेदन दायर किया, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, केवल बाद में आरोप पत्र दाखिल करना प्रतिवादी के पक्ष में दी गई जमानत को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है-मूल अभियुक्त संख्या 1, एक बार जब वह जांच के समापन और निर्धारित समय के भीतर आरोप पत्र दाखिल न करने पर डिफॉल्ट जमानत पर रिहा हो गया था।

जी.

6.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय के निर्णयों के अनुसार आरोप पत्र दाखिल न करने पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के लिए

एच.

750

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

धारा 167 (2) Cr.P.C के तहत उल्लिखित निर्धारित समय के भीतर अभियुक्त के पक्ष में अर्जित एक अक्षम्य अधिकार है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार उपलब्ध ऐसे अधिकार का प्रयोग करते हुए जब आरोपी को धारा 167 (2) Cr.P.C के तहत जमानत पर रिहा किया जाता है, तो उसे आरोप पत्र दाखिल करने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता है और/या रद्द नहीं किया जा सकता है। प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील-मूल अभियुक्त संख्या 1 ने मोहम्मद के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया है।

इकबाल मदार शेख और अन्य। बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1996) 1

एस. सी. सी. 722 (पैरा 10)। 6.4 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करना और निर्णयों पर भरोसा करना

मोहम्मद इकबाल मदार शेख और अन्य का मामला। (ऊपर), यह है

ग

वर्तमान अपील को खारिज करने के लिए प्रार्थना की। 7. मृतक की प्रस्तावित मुखबिर-बेटी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ दवे ने श्री नटराज, विद्वान ए. एस. जी. का समर्थन किया है और प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी के खिलाफ कथित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए-मूल अभियुक्त संख्या 1 और अपराध की गंभीरता को देखते हुए और जमानत पर रिहा होने के बाद अभियुक्त के जमानत के बाद के आचरण को देखते हुए, इस न्यायालय द्वारा 2022 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169 पर निर्णय लेते समय विचार किया गया है, इसमें प्रतिवादी के पक्ष में दी गई जमानत को रद्द करने का अनुरोध किया गया है-मूल अभियुक्त संख्या 1। उन्होंने राकेश कुमार पॉल बनाम असम राज्य, (2017) 15 एस. सी. सी. 67 (पैराग्राफ 15 और 49) के मामले में इस अदालत के फैसले पर भी भरोसा किया है, जिसमें कहा गया है कि जैसा कि इस अदालत ने उक्त फैसले में कहा है, यदि आरोपी को डिफॉल्ट जमानत पर रिहा किया जाता है, तो यह विषय आरोप के संबंध में ठोस आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी या फिर से गिरफ्तारी को प्रतिबंधित या अन्यथा नहीं करता है और गिरफ्तारी या फिर से गिरफ्तारी पर, आरोपी नियमित जमानत देने के लिए याचिका का हकदार है, जिसके आवेदन पर अपनी योग्यता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।

डी.

ई.

च

8. संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने के बाद, इस न्यायालय के विचार के लिए जो छोटा सवाल पूछा जाता है, वह यह है कि क्या धारा 167 की उप-धारा (2) के प्रावधान के तहत दी गई जमानत, जिसमें निर्धारित अवधि के भीतर जांच पूरी करने में विफलता के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद रद्द की जा सकती है और यदि उक्त प्रश्न का सकारात्मक उत्तर दिया जाता है, तो किस आधार और परिस्थितियों पर जमानत रद्द की जा सकती है?

जी.

8.1 शुरुआत में, यह नोट किया जाना आवश्यक है और इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि जब किसी आरोपी को उप-ए के प्रावधान के तहत डिफॉल्ट जमानत पर रिहा किया जाता है

एच.

751

द स्टेट थ्रू सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वी. टी. गंगी रेड्डी @येरा गंगी रेड्डी [एम. आर. शाह, जे.] ए.

धारा 167 Cr.P.C की धारा (2), उसे जाँच एजेंसी द्वारा जाँच पूरी करने और उसमें उल्लिखित निर्धारित समय के भीतर आरोप पत्र दायर करने में विफलता पर उसके द्वारा जमानत बांड प्रस्तुत करने पर रिहा कर दिया जाता है। धारा 167 की उप-धारा (2) का परंतुक उस बाहरी सीमा को निर्धारित करता है जिसके भीतर जांच पूरी की जानी चाहिए और यदि वह उसमें निर्धारित अवधि के भीतर पूरी नहीं होती है, तो आरोपी को जमानत पर रिहा होने का अधिकार है यदि वह जमानत देने के लिए तैयार है और जमानत देता है। धारा 167 (2) Cr.P.C के प्रावधान पर विचार करते हुए, यह विवादित नहीं हो सकता है कि जमानत (डिफॉल्ट जमानत) पर रिहा किए गए व्यक्ति को Cr.P.C के अध्याय XXXIII के प्रावधानों के तहत रिहा किया गया माना जाता है, जिसमें धारा 437 और 439 भी शामिल हैं। धारा 167 (2) Cr.P.C के परंतुक का उद्देश्य और उद्देश्य निर्धारित समय सीमा के भीतर त्वरित जांच की आवश्यकता पर जोर देना और उस संबंध में ढिलाई को रोकना है। इसका उद्देश्य इसकी तात्कालिकता की भावना पैदा करना है और यदि आरोपी तैयार है और जमानत देता है तो मजिस्ट्रेट उसे रिहा कर देगा। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 167 (2) Cr.P.C के प्रावधान के तहत जमानत पर रिहाई का आदेश गुण-दोष पर एक आदेश है। अभियोजन एजेंसी की विफलता पर एक आरोपी को धारा 167 (2) Cr.P.C के प्रावधान के तहत जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। इसलिए, धारा 167 (2) Cr.P.C के तहत काल्पनिक धारणा की व्याख्या जमानत के आदेश को गुण-दोष पर नहीं बल्कि गुण-दोष पर पारित करने की अवधि में नहीं की जा सकती है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील में शामिल मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है।

ग

डी.

ई.

9. इससे जुड़े मुद्दे पर विचार करते हुए कुछ टिप्पणियां की गईं

इस न्यायालय द्वारा असलम बाबालाल देसाई (ऊपर) और अब्दुल बासित उर्फ राजू और अन्य (ऊपर) के मामले में संदर्भित किया जाना आवश्यक है।

पीठ की ओर से बोलते हुए, न्यायमूर्ति ए. एम. अहमदी (जैसा कि वे उस समय थे) ने पैराग्राफ 14 और 15 में कहा है:- - प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

**“14.** हम संक्षेप में इस प्रकार बताते हैं:

संहिता के प्रावधान, विशेष रूप से धारा 57 और 167, इस विधायी चिंता को प्रकट करते हैं कि एक बार जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में अदालत के आदेश या वारंट के बिना उसे गिरफ्तार करने वाली पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है, तो जांच अत्यधिक तात्कालिकता के साथ की जानी चाहिए और संहिता की धारा 167 (2) के परंतुक (ए) द्वारा अनुमत अधिकतम अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए। यह महसूस किया जाना चाहिए कि उक्त परंतुक संहिता में समय बढ़ाने के माध्यम से पेश किया गया था जिसके लिए गिरफ्तार अभियुक्त को हिरासत में रखा जा सकता था। इसलिए, अभियोजन एजेंसी को यह महसूस करना चाहिए कि यदि वह जांच में तात्कालिकता की भावना दिखाने में विफल रहती है

जी.

मामला और निर्धारित समय के भीतर आरोप पत्र दायर करने में चूक या चूक, आरोपी जमानत पर रिहा होने का हकदार होगा और धारा 167 (2) के तहत उस प्रभाव से पारित आदेश संहिता की धारा 437 (1) या (2) या धारा 439 (1) के तहत एक आदेश होगा। चूंकि धारा 167 जमानत को रद्द करने का अधिकार नहीं देती है, इसलिए जमानत को रद्द करने की शक्ति का पता केवल संहिता की धारा 437 (5) या धारा 439 (2) से लगाया जा सकता है। जमानत तब उन विचारों पर रद्द की जा सकती है जो संहिता की धारा 437 (1) या (2) या धारा 439 (1) के तहत दी गई जमानत को रद्द करने के लिए मान्य हैं। तथ्य यह है कि जमानत पहले खारिज कर दी गई थी या यह कि यह संहिता की धारा 167 (2) के परंतुक (ए) के बल द्वारा सुरक्षित किया गया था, तब पृष्ठभूमि में पीछे हट जाता है। एक बार जब अभियुक्त जमानत पर रिहा हो जाता है तो उसकी स्वतंत्रता में इस आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने बाद में आरोप पत्र प्रस्तुत किया है। इस तरह का दृष्टिकोण जांच एजेंसी में आत्मसंतुष्टि की भावना पैदा करेगा और संहिता की धारा 57 और 167 (2) द्वारा अपेक्षित तात्कालिकता की भावना पैदा करने के उद्देश्य को नष्ट कर देगा। इसलिए, हमारा विचार है कि एक बार जब कोई आरोपी धारा 167 (2) के तहत जमानत पर रिहा हो जाता है, तो उसे केवल आरोप पत्र दायर करने पर हिरासत में वापस नहीं लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए इस तथ्य के अलावा विशेष कारण मौजूद होने चाहिए कि आरोप पत्र एक गैर-जमानती अपराध के होने का खुलासा करता है। रजनीकांत मामले [(1989) 3 एस. सी. सी. 532] का अनुपात इस हद तक असंगत है, इस संबंध में, कानून को सही ढंग से नहीं बताता है। 15. यहां तक कि जहां दो विचार संभव हैं, यह एक व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े आपराधिक न्याय के क्षेत्र से संबंधित मामला है, इस प्रावधान को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में सख्ती से समझा जाना चाहिए क्योंकि कानून भी जांच के जल्द पूरा होने की उम्मीद करता है। जांच पूरा होने में देरी अभियुक्त के जमानत पर रिहा होने के दर्द पर हो सकती है। अभियोजन पक्ष को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है यदि वह अपने कार्य को गंभीरता से नहीं लेता है और कानून द्वारा अनुमत समय के भीतर इसे पूरा नहीं करता है। इसके परिणामस्वरूप अभियुक्त के लिए टालने योग्य कठिनाई भी होगी यदि अभियुक्त को मुचलका प्राप्त करने के लिए कहा जाता है और कुछ दिनों बाद आरोप पत्र पेश करने पर अभियोजन पक्ष की इच्छा पर उसे सलाखों के पीछे रखा जाता है। इसलिए, हमारा विचार है कि जब तक जमानत रद्द करने के लिए मजबूत आधार नहीं हैं, तब तक एक बार दी गई जमानत को केवल आरोप पत्र पेश करने पर रद्द नहीं किया जा सकता है। हम जो दृष्टिकोण ले रहे हैं वह इस ए के अनुरूप है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

बशीर [(1977) 4 एस. सी. सी. 410] और रघुबीर [(1986) 4 एस. सी. सी. 481] के मामले में अदालत का विचार लेकिन अगर रजनीकांत मामले [(1989) 3 एस. सी. सी. 532] में कुछ टिप्पणियों के कारण कोई अस्पष्टता उत्पन्न हुई है तो हमारा प्रयास इसे स्पष्ट करना और विवाद को शांत करना है।"

9.1 न्यायमूर्ति के. रामास्वामी (जैसा कि वे उस समय थे) ने अपने सहमति वाले फैसले में पैराग्राफ 39 और 40 में कहा है:- - प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"39. निस्संदेह, संहिता की धारा 167 (2) के परंतुक के संचालन से, अभियुक्त जाँच अधिकारी द्वारा जाँच को पूरा करने और 90/60 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर आरोप पत्र रखने में चूक के कारण जमानत का हकदार है, न कि गुण-दोष के आधार पर। अध्याय XXXIII में प्रावधानों को लागू करने वाले परंतुक के तहत कानून की कल्पना कानून के उद्देश्य को पूरा करने के लिए है, अर्थात् न केवल उक्त अध्याय में परिकल्पित आवश्यक बांड और उसमें शामिल की जाने वाली शर्तों को लेने पर आरोपी की रिहाई, बल्कि जमानत को रद्द करने और संहिता की धारा 437 (5) और 439 (2) में प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उल्लिखित आधारों के लिए आरोपी को हिरासत में लेने की अदालत की शक्ति भी। विधानमंडल पुरानी संहिता की धारा 167 की उप-धारा (2) के तहत परिकल्पित 15 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं करने की पहले से मौजूद प्रथा और इसके परिणामों से भी अवगत है। पुरानी संहिता की धारा 344 और वर्तमान संहिता की धारा 309 के तहत रिमांड का आदेश प्राप्त करने पर आगे हिरासत की मांग करने की संदिग्ध प्रक्रिया को समाप्त किया जाना था, जबकि अदालत को जमानत रद्द करने की शक्ति को संरक्षित करते हुए, यदि परिस्थितियाँ आरोपी को हिरासत में लेने की आवश्यकता होती हैं। माताबर परिदा मामले [(1975) 2 एस. सी. सी. 220] में इस न्यायालय ने जल्द से जल्द इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि धारा 167 (2) परंतुक के तहत भी, परंतुक में निर्धारित समय की बाहरी सीमा के भीतर गंभीर अपराधों की जांच पूरी करना संभव नहीं हो सकता है। यदि अभियुक्त आई. डी. 1 दिनों की समाप्ति पर निरोध से रिहा होने के लिए तैयार रहता है और जमानत देता है, तो इसके परिणाम अपरिहार्य हैं और रिहाई अपराधियों के लिए न्यायिक आदेश द्वारा नहीं बल्कि विधायी जनादेश द्वारा एक वैधानिक स्वर्ग है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

40. व्याख्या का उद्देश्य कानून को बनाए रखना है। अदालत को सार्वजनिक भलाई को बढ़ावा देने के लिए कानून में शब्दों या भाषा की व्याख्या करनी चाहिए और शक्ति के दुरुपयोग पर रोक लगनी चाहिए। अपराधी

एच.

754

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

कानून मुख्य रूप से सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है और सभी द्वारा पालन किए जाने वाले व्यवहार के नियमों को निर्धारित करता है। कानून विचलन, उल्लंघन, उल्लंघन या चूक के लिए दंडित करता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज या सार्वजनिक व्यवस्था में सुरक्षा और व्यवस्था नाजुक और फिर भी सर्वोपरि विचार हैं। दोनों में से किसी एक पर अनुचित जोर देने से सद्भाव में बाधा आएगी और सार्वजनिक भलाई में बाधा आएगी और साथ ही सामाजिक कल्याण और शांति में बाधा आएगी। स्वास्थ्य को संतुलित रखना न्यायपालिका का प्रमुख कर्तव्य होना चाहिए। संहिता के अध्याय XXXIII के साथ पठित धारा 167 (2) के परंतुक का उद्देश्य निर्धारित सीमा के भीतर पुलिस अधिकारी द्वारा जांच को तेजी से पूरा करने की आवश्यकता पर जोर देना और उस संबंध में ढिलाई को रोकना है। अपनी चूक पर मजिस्ट्रेट आरोपी को जमानत पर रिहा कर देगा यदि आरोपी तैयार है

और जमानत प्रस्तुत करता है। साथ ही जाँच या मुकदमे के दौरान जमानत रद्द करने और अभियुक्त को हिरासत में लेने की अदालत की शक्ति को सुरक्षित रखा जाता है। लेकिन जैसा कि इस न्यायालय द्वारा उत्प्रेरक अधिनियम की घटना पर व्याख्या की गई है, अर्थात् 90/60 दिनों की समाप्ति पर डिफॉल्ट रूप से रिहाई का हथौड़ा गिर जाएगा। बाद में आरोप पत्र (चालान) दाखिल करना अपने आप में प्रासंगिक नहीं है कि आरोपी पर मुकदमा चलाने या अपराध का संज्ञान लेने पर जमानत रद्द कर दी जाए। जैसा कि इस न्यायालय ने बशीर [(1977) 4 एस. सी. सी. 410] और रघुबीर [(1986) 4 एस. सी. सी. 481] मामलों में जोर दिया है, यदि अभियोजन पक्ष इस आधार पर जमानत रद्द करने का प्रयास करता है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त ने एक गैर-जमानती अपराध किया है और उसे गिरफ्तार करना और हिरासत में लेना आवश्यक है, तो उस स्तर पर, वास्तव में मजबूत आधार आवश्यक हैं। आरोप पत्र दाखिल करने के बाद जमानत रद्द करने के लिए पहले के अवसर पर जमानत खारिज करने का तथ्य प्रासंगिक नहीं है। लेकिन जाँच के दौरान कुछ मजबूत प्रथम दृष्टया साक्ष्य और अपराध की गंभीरता और परिमाण या जिस तरह से अपराध किया गया था और अन्य उपस्थित परिस्थितियाँ जमानत को रद्द करने के लिए एक नए सिरे से देखने के लिए प्रथम दृष्टया आधार के रूप में प्रासंगिक हो सकती हैं। अध्याय XXXIII में जमानत को रद्द करने के लिए आधार हैं, मामले में गुण-दोष, अर्थात् अभियुक्त के आचरण और स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण आवश्यकता, अर्थात् सुचारु जांच में बाधा डालना या गवाहों को पेश करना या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करना, गवाहों को गंभीर परिणामों की धमकी देना या ए की पहुंच से बाहर खुद को हटाने का प्रयास करना।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

755

द स्टेट थ्रू सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वी. टी. गंगी रेड्डी @ येरा गंगी रेड्डी [एम. आर. शाह, जे.] ए.

सुचारु सुनवाई आदि में बाधा डालने वाला न्यायालय मामले के गुण-दोष से स्वतंत्र है। रिहाई के बाद आरोपी के आचरण के कारण जमानत रद्द करने की आवश्यकता होगी। मैं भाई पुंछी, जे. से सहमत हूँ कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के लिए जांच पूरी करने में जानबूझकर देरी करके प्रावधान का दुरुपयोग करना संभव हो सकता है। मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि आरोप-पत्र में सामने लाए गए गुण और उपस्थित परिस्थितियाँ प्रासंगिक हैं, क्योंकि अदालत के गुण-दोष के बिना जांच अधिकारी के चूक करने के कारण जमानत दी गई थी, लेकिन जमानत को रद्द करने के लिए मजबूत आधार आवश्यक हैं। इस हद तक भाई अहमदी, जे. ने भी इस बात पर जोर दिया कि आरोप पत्र में मजबूत आधार बनाए जाने चाहिए। सम्मान के साथ मैं भाई अहमदी के इस जोर से सहमत हूँ कि आरोप पत्र (चालान) दाखिल करना ही पर्याप्त नहीं है। हालांकि, मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय को मामले के गुण-दोष पर विचार करना चाहिए। इस संबंध में, जे. के. जे. शेटी ने बाद में आरोप पत्र दाखिल करने और संहिता की धारा 437 और 439 के तहत रद्द करने की शक्ति पर जोर दिया। दुर्भाग्य से, परिदा [(1975) 2 एस. सी. सी. 220] और बशीर [(1977) 4 एस. सी. सी. 410] मामलों में अनुपात को विद्वान न्यायाधीश के ध्यान में नहीं लाया गया था, जो सीधे मुद्दे पर था और बताए गए कारणों से मुझे इस संबंध में विद्वान न्यायाधीश से सहमत होना मुश्किल लगता है। भाई जे. अहमदी द्वारा व्यक्त किए गए विचार और उनके द्वारा प्रस्तावित आदेश से मैं पूरी तरह सहमत हूँ।"

ग

डी.

ई.

9.2 एक सहमति वाले फैसले में, न्यायमूर्ति के. रामास्वामी (जैसा कि वे तब थे) ने न्यायमूर्ति एम. एम. पुंछी (जैसा कि वे उस समय थे) द्वारा एक असहमतिपूर्ण फैसले में की गई कुछ टिप्पणियों से सहमति व्यक्त की है कि जमानत पर अभियुक्त की रिहाई की सुविधा के लिए जांच को पूरा करने में जानबूझकर देरी करके धारा 167 (2) के प्रावधान का दुरुपयोग करना संभव हो सकता है। हालाँकि, इसके बाद वे इस विचार से सहमत हुए कि आरोप-पत्र में सामने लाए गए गुण और उपस्थित परिस्थितियाँ प्रासंगिक हैं, क्योंकि अदालत के गुण-दोष के बिना जांच अधिकारी के चूक के कारण जमानत दी गई थी, लेकिन जमानत को रद्द करने के लिए मजबूत आधार आवश्यक हैं और केवल आरोप-पत्र दाखिल करना ही पर्याप्त नहीं है।

च

जी.

9.3 न्यायमूर्ति एम. एम. पुंछी (जैसा कि वे उस समय थे) ने अपने असहमत निर्णय में पैराग्राफ 23,25,26,27 और 28 में कहा है:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

एच.

756

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

“23. केवल यह परिस्थिति कि धारा 167 (2) यह आदेश देती है कि इस उप-धारा के तहत जमानत पर रिहा किए गए प्रत्येक व्यक्ति को उस अध्याय के प्रयोजनों के लिए अध्याय XXXIII के प्रावधानों के तहत इस तरह से रिहा किया गया माना जाएगा, इसका वास्तविक अर्थ यह नहीं है कि जमानत आदेश योग्यता के आधार पर जमानत आदेशों की सामग्री और चरित्र को ग्रहण करता है, जिसकी कल्पना धारा 437 की उप-धारा (1) और (2) या संहिता की धारा 439 की उप-धारा (1) में की गई है। धारा 167 (2) की माननीया अपेक्षा ऐसे व्यक्ति की रिहाई को जमानत पर रखती है जैसे कि अध्याय XXXIII के प्रावधानों के तहत लेकिन केवल उस अध्याय के प्रयोजनों के लिए। दूसरे शब्दों में, इसका अर्थ है कि इस कल्पना द्वारा प्रावधान को अध्याय XXXIII के एक भाग के रूप में पढ़ा जाना चाहिए ताकि यह उस अध्याय के उद्देश्यों को आमंत्रित करे जैसे कि बांड भरना, प्रतिभूतों का प्रावधान आदि, साथ ही जमानत को रद्द करने की अनुमति भी। यह इस तरह के समावेश के बल पर है कि धारा 437 (5) के तहत रद्द करने का प्रयास किया जा सकता है जैसे कि काल्पनिक रूप से जमानत आदेश धारा 437 की उप-धारा (1) और (2) के तहत पारित किया गया था, लेकिन इस विचार पर नहीं कि जमानत आदेश योग्यता पर था। इस तरह की कल्पना को जमानत के आदेश को योग्यता के आधार पर परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जैसे कि योग्यता के आधार पर पारित किया गया हो।

ग

डी.

XXXXXXX

25. जोर दिए गए शब्द इस दृष्टिकोण को दर्शाते हैं कि चालान दायर किए जाने के बाद उस स्तर पर अदालत की राय हो सकती है कि इस विचार को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार दिखाई देते हैं कि आरोपी ने एक गैर-जमानती अपराध किया था और यह आवश्यक था कि उसे गिरफ्तार किया जाए और हिरासत में लिया जाए। रद्द करने के लिए उपर्युक्त आधार के अलावा, एक अकेला पर्याप्त और चूक पर आदेश के लिए विशेष आधार, न्यायालय ऐसे व्यक्ति को न्यायिक रूप से उल्लिखित और अन्य प्रासंगिक आधारों पर भी गिरफ्तार कर सकता है और हिरासत में ले सकता है; जैसे कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ आदि। बाद में संकेत दिए गए आधार वे आधार हैं जो आम तौर पर धारा 437 (5) के तहत एक योग्य जमानत को रद्द करते समय अदालत के साथ वजन करते हैं, जब धारा 437 की उप-धारा (1) और (2) के तहत योग्यता के आधार पर जमानत दी गई है। लेकिन धारा 167 (2) के बल के तहत अध्याय XXXIII के तहत एक मानित जमानत, जैसा कि स्पष्ट है, मुझे एक

अलग आधार पर दिखाई देता है, जो जमानत को रद्द करने की अनुमति देता है, न केवल जमानत को रद्द करने के लिए प्रसिद्ध आधारों पर, बल्कि अदालत के इस विचार पर विशेष एकल आधार पर भी कि पर्याप्त ए हैं।

ई.

च

जी.

एच.

757

द स्टेट थ्रू सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वी. टी. गंगी रेड्डी @येरा गंगी रेड्डी [एम. आर. शाह, जे.] ए.

यह आधार है कि अभियुक्त ने एक गैर-जमानती अपराध किया था और यह आवश्यक था कि उसे गिरफ्तार किया जाए और हिरासत में लिया जाए। बशीर मामले [(1977) 4 एस. सी. सी. 410] में प्रतीत होने वाली विविधता केवल तभी सामने आती है जब यह समझा जाता है कि यह धारा 167 (2) के तहत जमानत आदेश लेता है, जैसे कि धारा 437 की उप-धारा (1) और (2) के तहत योग्यता पर आदेश। लेकिन यदि काल्पनिक कथन, जैसा कि मुझे प्रतीत होता है, जमानत आदेश को इस हद तक विस्तारित करता है जैसे कि अध्याय XXXIII के तहत पारित किया गया है और वह भी धारा 437 की उप-धाराओं (1) और (2) के तहत धारा 167 (2) के प्रावधानों के साथ उस अध्याय के हिस्से और पार्सल के रूप में पढ़ा जाता है ताकि जमानत आदेश चूक पर पारित आदेश बना रहे और योग्यता पर नहीं, तो स्पर्शता गायब हो जाती है। और भले ही इस पहलू को नजरअंदाज कर दिया जाए, बशीर मामला [(1977) 4 एस. सी. सी. 410] संहिता की धारा 437 की उप-धारा (1) और (2) के तहत दी गई जमानत को रद्द करने के लिए अन्य प्रसिद्ध आधारों के अलावा धारा 167 (2) के तहत दी गई जमानत को रद्द करने के लिए एक एकल और विशेष आधार जोड़ता है। उस स्थिति में फिर से प्रयोग करने योग्य प्रावधान संहिता की धारा 437 (5) है, प्रावधान के पाठ के बावजूद, इसके अलावा न्यायालय के पास कोई अन्य प्रावधान नहीं है।

ग

डी.

26. संहिता की धारा 167 (2) के तहत जमानत रद्द करने के लिए प्रसिद्ध आधारों के अलावा जमानत रद्द करने के लिए इस तरह के विशेष आधार के अस्तित्व की पुष्टि की गई और इस अदालत के दो सदस्यीय पीठ द्वारा रघुबीर सिंह बनाम बिहार राज्य ((1986) 4 एस. सी. सी. 481) मामले में पृष्ठ 826 पर दिए गए फैसले में दोहराया गया: (एस. सी. सी. पी. 502, पैरा 22)

ई.

“जहां धारा 167 (2) के प्रावधान के तहत 60 दिनों में जांच पूरी नहीं करने में अभियोजन पक्ष की चूक के लिए जमानत दी गई है, आरोप पत्र दायर करके दोष ठीक होने के बाद, अभियोजन पक्ष इस आधार पर जमानत रद्द करने की मांग कर सकता है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी ने एक गैर-जमानती अपराध किया है और उसे गिरफ्तार करना और उसे हिरासत में लेना आवश्यक है। अंतिम उल्लिखित मामले में, कोई भी वास्तव में बहुत मजबूत आधार की उम्मीद करेगा।”

च

जी.

संदर्भ में निर्दिष्ट मजबूत आधार स्पष्ट रूप से मामले के गुण-दोष पर आधारित हैं, जो चालान में लगाए गए औपचारिक आरोप से प्रतिबिंबित होते हैं, जिसका आरोपी को मुकदमे में सामना करना पड़ता है।

एच.

**27.** रघुबीर सिंह मामला **[(1986) 4 एस. सी. सी. 481]** के बाद रजनीकांत में इस अदालत के एक अवकाश न्यायाधीश का फैसला आया।

जीवनलाल पटेल बनाम खुफिया अधिकारी, एन. सी. बी., नई दिल्ली [(1989)

3 एस. सी. सी. 532] इसे पृष्ठ 536 पर इस प्रकार देखा गया था: (एस. सी. सी. पी. 536, पैरा 13 और 14)

“धारा 167 (2) के परंतुक (ए) के तहत जमानत पर रिहाई के आदेश को उचित रूप से चूक पर आदेश कहा जा सकता है। वास्तव में, यह निर्धारित अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर करने में अभियोजन पक्ष की चूक पर जमानत पर रिहाई है। धारा 167 (2) परंतुक (ए) के तहत जमानत का अधिकार निरपेक्ष है। यह एक विधायी आदेश है न कि अदालत का विवेकाधिकार। यदि जाँच एजेंसी 90/60 दिनों की समाप्ति से पहले आरोप पत्र दायर करने में विफल रहती है, तो हिरासत में आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए। लेकिन में।

ग

उस चरण में, मामले के गुण-दोष की जांच नहीं की जानी चाहिए।

बिल्कुल नहीं। वास्तव में, मजिस्ट्रेट के पास किसी व्यक्ति को 90/60 दिनों की निर्धारित अवधि से आगे रिमांड करने की कोई शक्ति नहीं है। उसे जमानत का आदेश पारित करना चाहिए और आवश्यक जमानत बांड प्रस्तुत करने के लिए आरोपी को सूचित करना चाहिए।

डी.

इसलिए अभियुक्त जमानत पर रहने के किसी विशेष अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। यदि जाँच से पता चलता है कि अभियुक्त ने एक गंभीर अपराध किया है और आरोप पत्र दायर किया जाता है, तो धारा 167 (2) के प्रावधान (ए) के तहत दी गई जमानत को रद्द किया जा सकता है।”

ई.

(जोर दिया गया) 28। उपरोक्त चर्चा किए गए मामले के कानून के विश्लेषण पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संहिता की धारा 167 (2) के तहत एक अदालत द्वारा दिया गया बाध्यकारी जमानत आदेश योग्यता के आधार पर नहीं है, जब चालान दाखिल करने के बाद रद्द करने की आवश्यकता होती है, तो इसमें योग्यता के आधार पर किए गए निर्णय की कोई समीक्षा शामिल नहीं होगी। इस तरह की जमानत रद्द की जा सकती है यदि अदालत के पास इस विश्वास पर विचार करने का कारण है कि आरोपी ने गैर-जमानती अपराध किया है और उसे गिरफ्तार करना और उसे हिरासत में लेना आवश्यक है। योग्यता के आधार पर जमानत देने या अस्वीकार करने का अवसर चालान दाखिल करने के बाद अदालत के लिए उपलब्ध हो जाता है क्योंकि इससे पहले अनिवार्य जमानत देने के समय जमानत की योग्यता का पता नहीं चल सकता था। किसी भी स्थिति में न्यायालय का लक्ष्य न्यायिक संतुलन बनाना है।

च

जी.

एच.

व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दावों और राज्य के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए स्थिति की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। यह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि संहिता की धारा 167 (2) के तहत जमानत आदेश को एक सुविधाजनक जांच अधिकारी के माध्यम से भी प्रबंधित किया जा सकता है, चाहे वह अपराध कितना भी जघन्य क्यों न हो। अदालत को कानून के आदेश के तहत जमानत देनी होगी, क्योंकि यह उस स्तर पर मामले के गुण-दोष को देखने के लिए है। यह कहना कि इसके बाद से अदालत मामले के गुण-दोष को देखने के लिए हमेशा के लिए बंद है, हालांकि उसके पास जमानत रद्द करने की शक्ति है, इसे न्याय देने और गुण-दोष के आधार पर दावों को तौलने के अपने प्राथमिक कार्य से वंचित करना है। इसके बजाय मैं इस तरह की व्याख्या के लिए घृणा करूंगा क्योंकि इससे न्याय को निराशा होगी, और दूसरी ओर अदालत को जमानत रद्द करने की शक्ति होगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में मामले के गुण-दोष की एक बार जांच की जा सकती है।"

ग

इसलिए, इस प्रकार, न्यायमूर्ति पुंछी ने भी अन्य माननीय न्यायाधीशों के इस विचार से सहमति व्यक्त की थी कि धारा 167 की उप-धारा (2) के तहत जमानत पर रिहा किया गया प्रत्येक व्यक्ति को उस अध्याय के प्रयोजनों के लिए अध्याय XXXIII के प्रावधानों के तहत इस तरह से रिहा किया गया माना जाएगा और इसका वास्तविक अर्थ यह नहीं है कि जमानत आदेश योग्यता के आधार पर जमानत आदेशों की सामग्री और चरित्र को धारण करता है, जिसकी कल्पना धारा 437 की उप-धारा (1) और (2) या धारा 439 की उप-धारा (1) में की गई है।

डी.

ई.

9.4 इस प्रकार, के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार

असलम बाबालाल देसाई (ऊपर), (i) अभियुक्त की रिहाई

धारा 167 (2) Cr.P.C के तहत डिफॉल्ट जमानत गुण-दोष पर नहीं है, बल्कि जांच एजेंसी द्वारा जांच पूरी करने और उसमें निर्धारित समय के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने में विफलता पर है।

च

(ii) कि धारा 167 (2) Cr.P.C के तहत जमानत पर रिहा किए गए प्रत्येक व्यक्ति को अध्याय XXXIII Cr.P.C के प्रावधानों के तहत इस तरह से रिहा किया गया माना जाएगा, जिसमें धारा 437 (5) और 439 (2) शामिल हैं;

जी.

(iii) कि धारा 167 (2) Cr.P.C के तहत डिफॉल्ट जमानत पर रिहा किए गए व्यक्ति के पक्ष में जमानत को केवल आरोप पत्र दाखिल करने पर रद्द नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक विशेष और मजबूत आधार बनाने पर रद्द किया जा सकता है कि गैर-जमानती अपराध का खुलासा आरोप पत्र से किया जाता है।

एच.

760 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 1 एस. सी. आर.

9.5 अब्दुल बासित उर्फ राजू और अन्य के मामले में। (ऊपर)

असलम बाबालाल देसाई (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर विचार करने के बाद, इसे पैराग्राफ 13 और 14 में निम्नानुसार देखा और अभिनिर्धारित किया गया है:- "13. यह मामूली बात है कि धारा 167 (2) एक काल्पनिक कल्पना का निर्माण करती है जिसमें किसी व्यक्ति की रिहाई को संहिता के अध्याय XXXIII के तहत उसकी रिहाई के बराबर माना जाता है।

हालांकि, धारा 167 (2) के प्रावधान (ए) के तहत जमानत पर रिहा करने का आदेश गुण-दोष पर आदेश नहीं है, बल्कि अभियोजन एजेंसी का डिफॉल्ट आदेश है। इस तरह के आदेश को दोष/चूक ठीक होने के बाद विशेष कारणों से रद्द किया जा सकता है। इसलिए अभियुक्त जमानत पर रहने के किसी विशेष अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। यदि जाँच से पता चलता है कि अभियुक्त ने एक गंभीर अपराध किया है और आरोप पत्र दायर किया जाता है, तो अभियोजन एजेंसी द्वारा आवेदन पर धारा 167 (2) के प्रावधान (ए) के तहत दी गई जमानत को रद्द किया जा सकता है।

ग

14. अध्याय XXXIII के तहत, धारा 439 (1) उच्च न्यायालय के साथ-साथ सत्र न्यायालय को किसी भी आरोपी व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने का निर्देश देने का अधिकार देती है। धारा 439 (2) उच्च न्यायालय को यह निर्देश देने का अधिकार देती है कि संहिता के अध्याय XXXIII के तहत जमानत पर रिहा किए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और हिरासत में लिया जाए, यानी किसी आरोपी व्यक्ति को दी गई जमानत को रद्द करने की शक्ति। आम तौर पर जमानत रद्द करने के आधार मोटे तौर पर ये हैं—(i) अभियुक्त इसी तरह की आपराधिक गतिविधि में लिप्त होकर अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, (ii) जांच के क्रम में हस्तक्षेप करता है, (iii) साक्ष्य या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करता है, (iv) गवाहों को धमकी देता है या ऐसी ही गतिविधियों में शामिल होता है जो सुचारू जांच में बाधा डालती हैं, (v) उसके दूसरे देश भागने की संभावना है, (vi) भूमिगत होकर या जांच एजेंसी के लिए अनुपलब्ध होकर खुद को दुर्लभ बनाने का प्रयास करता है, (vii) अपने मुचलके की पहुंच से बाहर रखने का प्रयास करता है, आदि। ये आधार उदाहरणात्मक हैं और संपूर्ण नहीं हैं। जहां धारा 167 (2) के प्रावधान के तहत जमानत दी गई है, आरोप पत्र दायर करके दोष ठीक होने के बाद साठ दिनों में जांच पूरी नहीं करने में अभियोजन पक्ष की चूक के लिए, अभियोजन पक्ष इस आधार पर जमानत रद्द करने की मांग कर सकता है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी ने एक गैर-जमानती अपराध किया है और उसे गिरफ्तार करना और उसे हिरासत में लेना आवश्यक है। हालांकि, अंतिम उल्लिखित मामले में, वास्तव में बहुत मजबूत आधार की उम्मीद की जा सकती है। (रघुबीर सिंह बनाम बिहार राज्य (1986) 4 एस. सी. सी. 481।)”

डी.

ई.

च

जी.

एच.

761

द स्टेट थ्रू सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वी. टी. गंगी रेड्डी @ येरा गंगी रेड्डी [एम. आर. शाह, जे.] ए.

क.

9.6 अब, जहाँ तक इस निर्णय पर निर्भरता है

मोहम्मद इकबाल मदार शेख और अन्य के मामले में अदालत। (ऊपर)

प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा भरोसा किया गया—मूल अभियुक्त संख्या 1 का संबंध है, शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने असलम बाबालाल देसाई के मामले में लिए गए दृष्टिकोण के विपरीत दृष्टिकोण नहीं लिया है।

(ऊपर)। मोहम्मद इकबाल मदार शेख और ओआरएस के मामले में।

(ऊपर), यह अभियुक्त को डिफॉल्ट जमानत पर रिहा करने से इनकार करने का मामला था। अभियुक्त को डिफॉल्ट जमानत पर रिहा करते हुए, इसके बाद, इस न्यायालय ने कहा कि यदि अभियुक्त को जाँच पूरी करने में चूक के कारण जमानत पर रिहा

किया जाता है, तो जल्द ही आरोप पत्र दायर किया जाता है, ऐसे अभियुक्त को जमानत देने के आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, इसके बाद, पैराग्राफ 10 में यह देखा गया है कि ऐसे आरोपी की जमानत, जिसे जांच अधिकारी की ओर से जांच पूरी करने में चूक के कारण रिहा किया गया है, रद्द की जा सकती है, लेकिन केवल इस आधार पर नहीं कि रिहाई के बाद, ऐसे आरोपी के खिलाफ एक अपराध के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद, यह आगे देखा गया है कि जमानत को रद्द करने के लिए, जमानत को रद्द करने के संबंध में अच्छी तरह से तय किए गए सिद्धांतों को बनाया जाना चाहिए जैसा कि इस न्यायालय द्वारा इस मामले में कहा गया है।

ग

डी.

असलम बाबालाल देसाई (ऊपर) का मामला। अतः इस प्रकार

मोहम्मद इकबाल मदार शेख और अन्य (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ भी सी. बी. आई. की ओर से मामले का समर्थन करती हैं कि जमानत देने का आदेश Cr.P.C की धारा 437 (1) या (2) या धारा 439 (1) के तहत माना जाएगा और उस आदेश को तब रद्द किया जा सकता है जब धारा 437 (5) या 439 (2) Cr.P.C के तहत रद्द करने का मामला बनाया जाता है।

ई.

9.7 इस प्रकार, जब आरोप-पत्र से विशेष कारण/आधार बनाए जा रहे हैं और आरोप-पत्र से गैर-जमानती अपराध का पता चलता है, तो धारा 167 (2) Cr.P.C के तहत डिफॉल्ट जमानत पर रिहा किए गए व्यक्ति के पक्ष में जमानत को धारा 437 (5) और धारा 439 (2) Cr.P.C पर विचार करते हुए रद्द किया जा सकता है।

च

9.8 धारा 167 (2) Cr.P.C के तहत दी गई जमानत को रद्द करने के लिए प्रसिद्ध आधारों के अलावा, जमानत को रद्द करने के लिए विशेष आधार क्या कहा जा सकता है, इस अदालत द्वारा विचार किया गया है।

जी.

रघुबीर सिंह और अन्य के मामले में। बनाम बिहार राज्य, (1986) 4

एससीसी 481। पैराग्राफ 22 में, यह निम्नानुसार मनाया और अभिनिर्धारित किया गया है:- “22.

.....जहां अभियोजन की चूक के लिए धारा 167 (2) के प्रावधान के तहत जमानत दी गई है।

एच.

762

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

60 दिनों में जाँच पूरी न करने में, आरोप पत्र दाखिल करने से दोष ठीक होने के बाद, अभियोजन पक्ष इस आधार पर जमानत रद्द करने की मांग कर सकता है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त ने एक गैर-जमानती अपराध किया है और उसे गिरफ्तार करना और उसे हिरासत में लेना आवश्यक है। अंतिम उल्लिखित मामले में, कोई भी वास्तव में बहुत मजबूत आधार की उम्मीद करेगा।”

9.9 रघुबीर सिंह और अन्य (ऊपर) के फैसले का पालन इस अदालत ने रजनीकांत जीवनलाल और अन्न मामले में किया है। बनाम। खुफिया अधिकारी, एन. सी. बी., नई दिल्ली, (1989) 3 एस. सी. सी. 532, जिसमें पैराग्राफ में

13 और 14, यह निम्नानुसार मनाया और आयोजित किया जाता है:- “13. धारा 167 (2) के परंतुक (ए) के तहत जमानत पर रिहाई के आदेश को उचित रूप से पूर्वनिर्धारित आदेश कहा जा सकता है। वास्तव में, यह निर्धारित अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर करने में अभियोजन पक्ष की चूक पर जमानत पर रिहाई है। धारा 167 (2) परंतुक (ए) के तहत जमानत का अधिकार निरपेक्ष है। यह एक विधायी आदेश है न कि अदालत का विवेकाधिकार। यदि जांच एजेंसी 90/60 दिनों की समाप्ति से पहले आरोप पत्र दायर करने में विफल रहती है, तो हिरासत में आरोपी को रिहा कर दिया जाना चाहिए।

ग

डी.

जमानत। लेकिन उस स्तर पर, मामले के गुण-दोष की जांच नहीं की जानी चाहिए।

बिलकुल नहीं। वास्तव में, मजिस्ट्रेट के पास किसी व्यक्ति को 90/60 दिनों की निर्धारित अवधि से आगे रिमांड करने की कोई शक्ति नहीं है। उसे जमानत का आदेश पारित करना चाहिए और आवश्यक जमानत बांड प्रस्तुत करने के लिए आरोपी को सूचित करना चाहिए।

ई.

14. इसलिए अभियुक्त जमानत पर रहने के किसी विशेष अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। यदि जाँच से पता चलता है कि अभियुक्त ने एक गंभीर अपराध किया है और आरोप पत्र दायर किया जाता है, तो धारा 167 (2) के प्रावधान (ए) के तहत दी गई जमानत को रद्द किया जा सकता है।”

च

(जोर दिया गया) 10. उपरोक्त से, कानून, जो उभरता है, वह यह है कि किसी व्यक्ति के बाद केवल आरोप पत्र दायर करना धारा 167 (2) Cr.P.C के तहत डिफॉल्ट जमानत पर जारी किया जाता है। किसी व्यक्ति की जमानत को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है, जिसे डिफॉल्ट जमानत पर रिहा किया जाता है। हालाँकि, जाँच के समापन पर आरोप पत्र दाखिल करने पर, यदि एक मजबूत मामला बनाया जाता है और गुण-दोष के आधार पर, यह पाया जाता है कि उसने विशेष कारणों/आधारों पर और धारा 437 (5) और धारा ए पर विचार करते हुए एक गैर-जमानती अपराध/अपराध किया है।

जी.

एच.

763

द स्टेट थ्रू सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वी. टी. गंगी रेड्डी @ येरा गंगी रेड्डी [एम. आर. शाह, जे.] ए.

439(2) Cr.P.C, उन अन्य आधारों के अलावा जिन पर किसी व्यक्ति की जमानत, जिसे जमानत पर रिहा किया जाता है, गुण-दोष के आधार पर रद्द की जा सकती है।

11. इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और आदेश में जैसा कि देखा और अभिनिर्धारित किया गया है कि एक बार किसी व्यक्ति को धारा 167 (2) Cr.P.C के तहत डिफॉल्ट जमानत पर रिहा करने के बाद, उसकी जमानत गुण-दोष के आधार पर रद्द नहीं की जा सकती है और उसकी जमानत अन्य सामान्य आधारों पर रद्द की जा सकती है जैसे कि साक्ष्य/गवाहों के साथ छेड़छाड़ करना; जांच एजेंसी के साथ सहयोग नहीं करना और/या संबंधित निचली अदालत के साथ सहयोग नहीं करना आदि।

12. इस प्रकार, हम उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं। प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत करना-मूल अभियुक्त संख्या 1 और विवादित निर्णय और आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कि एक बार धारा 167 (2) के तहत डिफॉल्ट जमानत पर रिहा होने के बाद, उसकी जमानत गुण-दोष के आधार पर रद्द नहीं की जा सकती है, स्वीकार किया जाता है, उस मामले में, यह सुस्त और/या लापरवाही को प्रीमियम देना होगा, जांच एजेंसी की ओर से निर्धारित

समय अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर नहीं करने के जानबूझकर प्रयास के मामले में हो सकता है। किसी मामले में, भले ही आरोपी ने बहुत गंभीर अपराध किया हो, एन. डी. पी. एस. के तहत हो सकता है या हत्या भी की हो सकती है, फिर भी वह एक सुविधाजनक जांच अधिकारी के माध्यम से प्रबंधन करता है और वह धारा 167 (2) Cr.P.C के तहत उल्लिखित निर्धारित समय सीमा के भीतर आरोप पत्र दायर नहीं करने का प्रबंधन करता है और डिफॉल्ट जमानत पर रिहा हो जाता है, इससे अवैधता और/या बेईमानी को प्रीमियम दिया जा सकता है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, डिफॉल्ट जमानत पर अभियुक्त की ऐसी रिहाई गुण-दोष पर बिल्कुल भी नहीं है, और धारा 167 की उप-धारा (2) के परंतुक में होने वाली घटना पर है। हालांकि, बाद में दोषों को दूर करने और आरोप पत्र दायर करने पर, हालांकि एक मजबूत मामला बनाया जाता है कि एक आरोपी ने बहुत गंभीर अपराध और गैर-जमानती अपराध किया है, अदालत जमानत को रद्द नहीं कर सकती है और व्यक्ति को हिरासत में नहीं ले सकती है और आरोपी द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता पर विचार नहीं कर सकती है, अदालतें ऐसी व्याख्या के लिए घृणा करेंगी, क्योंकि इससे न्याय को निराशा होगी। अदालतों के पास जमानत को रद्द करने और ऐसे मामले में मामले के गुण-दोष की जांच करने की शक्ति है जहां आरोपी को डिफॉल्ट जमानत पर रिहा किया जाता है और पहले गुण-दोष के आधार पर रिहा नहीं किया जाता है। इस तरह की व्याख्या न्याय के प्रशासन को आगे बढ़ाने के लिए होगी।

ग

डी.

ई.

च

जी.

13. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों के लिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश

एच.

764

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

सी. बी. आई. द्वारा धारा 439 (2) Cr.P.C के तहत दायर जमानत रद्द करने के लिए आवेदन रद्द किए जाने और अलग रखे जाने के योग्य है और तदनुसार रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।

वर्तमान अपील में शामिल मुद्दे का जवाब सकारात्मक में दिया जाता है और यह देखा जाता है और यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि एक ऐसे मामले में जहां एक आरोपी को धारा 167 (2) के तहत डिफॉल्ट जमानत पर रिहा किया जाता है, और उसके बाद आरोप पत्र दायर करने पर, एक मजबूत मामला बनाया जाता है और आरोप पत्र से विशेष कारणों से यह बताया जाता है कि आरोपी ने एक गैर-जमानती अपराध किया है और धारा 437 (5) और धारा 439 (2) में निर्धारित आधारों पर विचार करते हुए, उसकी जमानत गुण-दोष के आधार पर रद्द की जा सकती है और अदालतें गुण-दोष के आधार पर जमानत रद्द करने के आवेदन पर विचार करने से बाधित नहीं होती हैं। तथापि, केवल आरोप-पत्र दाखिल करना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन जैसा कि ऊपर देखा गया है और अभिनिर्धारित किया गया है, आरोप-पत्र के आधार पर एक मजबूत मामला बनाया जाना चाहिए कि अभियुक्त ने गैर-जमानती अपराध किया है और वह हिरासत में रहने का हकदार है।

ग

14. चूंकि उच्च न्यायालय ने जमानत रद्द करने के आवेदन के गुण-दोष पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है, इसलिए इस मामले को कानून के अनुसार और गुण-दोष के आधार पर और ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में उक्त आवेदन पर नए सिरे से विचार करने के लिए उच्च न्यायालय को भेजा जाना है। इस न्यायालय द्वारा 2022 की लिखित याचिका (आपराधिक) संख्या

169 में दिनांक 1 के पूर्व निर्णय और आदेश के अनुसार, वर्तमान मामले में एफ. आई. आर. के मुकदमे को सी. बी. आई. विशेष न्यायालय, हैदराबाद में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया है, जमानत आवेदन को रद्द करने की कार्यवाही, जो पहले अमरावती में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी, को हैदराबाद में तेलंगाना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया है और अब तेलंगाना उच्च न्यायालय गुण-दोष के आधार पर और यहां ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में जमानत को रद्द करने के लिए आवेदन पर विचार करने, निर्णय करने और उसका निपटारा करने का आदेश दिया गया है। वर्तमान अपील की अनुमति उपरोक्त सीमा के अनुसार दी जाती है।

डी.

ई.

च

निधि जैन

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायक: अभिषेक प्रताप सिंह, एलसीआरए)

जी.

एच.